भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1147

(जिसका उत्तर मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को दिया गया)

कंपनियों द्वारा सावधि जमा राशियों के मूल धन/ब्याज का भुगतान न किया जाना

1147. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों की ओर से मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज़ एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नयी दिल्ली के पास जमा उनकी सावधि जमा राशियों के मूल धन और ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के मूल धन/ब्याज को रोके जाने के कारण उक्त कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और
(घ) ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकारी दिशानिर्देश क्या हैं और क्या चूककर्ता कंपनियों से निपटने के लिए सरकार कठोर दिशा-निर्देश बनाएगी?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): पूर्व कंपनी विधि बोर्ड ने 30/12/2014 को मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के संबंध में जमा की पुनःअदायगी संबंधी आदेश पारित किए थे, जिसमें अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भ नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने यह बताया है कि इसमें ऐसी कोई पृथक श्रेणी नहीं है।

(ग): मंत्रालय ने जमा की पुनः अदायगी न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के अधीन जांच के आदेश दिए हैं।

(घ): कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से धारा 75 में जमा की स्वीकृति, सावधि जमा राशियों के मूल धन और ब्याज की पुनःअदायगी संबंधी उपबंध हैं। अधिनियम की धारा 76 क और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 17 में चूककर्ता कंपनियों के लिए दंडात्मक प्रावधान है। अतः सावधि जमा राशियों के मूल धन और ब्याज का भुगतान न किए जाने हेतु पृथक दिशा-निर्देश जारी करना अपेक्षित नहीं है।

*****